न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -114/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

रतन महतो बनाम मेनका देवी

27.04.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	रतन महतो पिता–स्व० राम मोहन महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेतीबारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	मेनका देवी पति–अनिल कुमार महतो, ग्राम–बासाहातु, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–22/11/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता मेनका देवी पति–अनिल कुमार महतो, ग्राम–बासाहातु, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गुचीडीह	सोनाहातु/44	38	356	30 डी० चौहद्दीः– उ०–विक्रेता नीज। द०–डोमनी देवी। पू०–मुचीराम महतो वगैरह। प०–रतन महतो वो नवो महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–80(ii) दिनांक–03/03/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत पुस्तम महतो वो शागन महतो वो आगन महतो पे० अघनु महतो के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम राममोहन महतो वो हरी महतो वो बाउरी महतो है। तथा रैयत के पास रकबा–3.54 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022–23 तक वसूली गयी है।

(5) खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–3.24 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के है।
(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता रतन महतो पिता–स्व० राम मोहन महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता मेनका देवी पति–अनिल कुमार महतो, ग्राम–बासाहातु, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–22/11/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता रतन महतो पिता–स्व० राम मोहन महतो, ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता मेनका देवी पति–अनिल कुमार महतो, ग्राम–बासाहातु, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गुचीडीह	सोनाहातु/44	38	356	30 डी० चौहद्दीः– उ०–विक्रेता नीज। द०–डोमनी देवी। पू०–मुचीराम महतो वगैरह। प०–रतन महतो वो नवो महतो।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.05.03 11:44:17 +05:30
Location: 10.93.79.19